मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३७ सन् २०१९

मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, २०१९

मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, १९६४ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन अधिनियम २०१९ है.

धारा 2क का अन्तः स्थापन.

२. मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, १९६४ (क्रमांक १३ सन् १९६४) की धारा २ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

नामांकन पत्र में मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करने पर शास्ति.

"२ क. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई उम्मीदवार स्वयं या अपने प्रस्थापक के माध्यम से किसी निर्वाचन में निर्वाचित होने के आशय से, नामांकन-पत्र में मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करता है, जिसके बारे में वह जानता है या यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा.".

निरसन तथा व्यावृत्ति.

३. (१) मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अध्यादेश, २०१९ (क्रमांक ६ सन् २०१९) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंध के अधीन की गयी समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

स्थानीय प्राधिकरणों के निर्वाचन को पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाए जाने की दृष्टि से, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ (१९५१ का ४३) की धारा १२५-क के अनुरूप ही मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, १९६४ (क्रमांक १३ सन् १९६४) में धारा २क के अन्त:स्थापन द्वारा स्थानीय प्राधिकरणों के निर्वाचनों के नामांकन पत्र में मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करने को एक दाण्डिक उपबंध बनाया जाना प्रस्तावित है.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन अध्यादेश, २०१९ (क्रमांक ६ सन् २०१९) इस प्रयोजन के लिये प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर, राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १६ दिसम्बर, २०१९.

जयवर्द्धन सिंह
भारसाधक सदस्य.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

स्थानीय प्राधिकरणों के निर्वाचन को पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाए जाने की दृष्टि से, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ (१९५१ का ४३) की धारा १२५-क के अनुरूप ही मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, १९६४ (क्रमांक १३ सन् १९६४) में धारा २क के अन्त:स्थापन द्वारा स्थानीय प्राधिकरणों के निर्वाचनों के नामांकन पत्र में मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करने को एक दाण्डिक उपबंध बनाया जाना आवश्यक था. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन अध्यादेश, २०१९ (क्रमांक ६ सन् २०१९) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, १९६४ (क्रमांक १३ सन् १९६४) से उद्धरण.

२. परिभाषाएं—(१) "निर्वाचन" से तात्पर्य:—

(क) किसी नगरपालिका निगम की दशा में, मध्यप्रदेश नगरपालिका, निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३, सन् १९५६) के अधीन महापौर तथा पार्षद के पद की पूर्ति के निर्वाचन से है;

(ख) किसी नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् की दशा में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम १९६१ (क्रमांक ३७, सन् १९६१) के अधीन परिषद् के अध्यक्ष तथा पार्षद के पद की पूर्ति के लिए निर्वाचन से है;

(ग) किसी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की दशा में, मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) के अधीन क्रमश: किसी ग्राम पंचायत के पंच और सरपंच, किसी जनपद पंचायत के किसी सदस्य और किसी जिला पंचायत के किसी सदस्य के पद को भरने के लिए निर्वाचन;

(२) "स्थानीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत है यथास्थिति, मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) के अधीन गठित कोई नगरपालिक निगम, मध्यप्रदेश, नगरपलिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) के अधीन गठित कोई नगरपालिका परिषद् या कोई नगर परिषद्, या मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, १९९३) (क्रमांक १ सन् १९९४) के अधीन गठित कोई ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत;

(३) (क) नगरपालिका निगम की दशा में मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३, सन् १९५६) की धारा ५५ की उपधारा (११) में पारिभाषित आयुक्त से है;

(ख) नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् पंचायत की दशा में मध्यप्रदेश नगपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७, सन् १९६१) की धारा ३ की उपधारा (५) में यथापरिभाषित मुख्य नगरपालिका अधिकारी;

(ग) ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत की दशा में मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) की धारा ६९ की उपधारा (१) (२) तथा (३) के अधीन नियुक्त किया गया क्रमश: सचिव, मुख्य नगरपालिका अधिकारी या सचिव या उक्त धारा की उपधारा (४) के अधीन ऐसे पदों के कर्त्तव्यों का पालन करने वाला व्यक्ति;

(४) (क) किसी नगरपालिका निगम के पार्षद् के स्थान के लिये निर्वाचन की दशा में मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) के अधीन उस रूप में नियुक्त किसी पदाधिकारी से है;

(ख) किसी नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् के पार्षद् के स्थान के लिये निर्वाचन की दशा में मध्यप्रदेश नगरपलिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) के अधीन उस रूप में नियुक्त किसी पदाधिकारी से है;

(ग) किसी ग्राम पंचायत के पंच या सरपंच के स्थान के या किसी जनपद पंचायत या जिला पंचायत के सदस्य के स्थान के निर्वाचन की दशा में मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) के अधीन उस रूप में नियुक्त किया गया कोई अधिकारी.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.